भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1588

उत्तर देने की तारीख : 07.12.2021

क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स

1588. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

डॉ. डी.एन.वी सेंथिलकुमार एस.:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सात राष्ट्रीय संस्थानों और सात समग्र क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी) में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेशन सेंटर्स आरम्भ किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कदम उठाने का उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का आगामी वर्षों में देश के सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों विशेषरूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये केन्द्र विकलांग बच्चों अथवा जिनके विकलांग होने की संभावनाएं हैं, को सेवाएं प्रदान करेंगे और उनके ईष्टतम विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पहले ही सहायता प्रदान करेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में विकलांग बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(च) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बच्चों के लिए चलाये जा रहे विकलांगता केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(छ) सभी प्रकार के विकलांगों को एक ही जगह चिकित्सा एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): जी हां । मंत्रालय ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत कार्यरत 7 राष्ट्रीय संस्थानों समेकित क्षेत्रीय केंद्रों नामत: अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान- मुंबई, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन

सशक्तिकरण संस्थान- सिकंदराबाद, राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान- चेन्नई, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान- देहरादून, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान- कोलकाता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान- नई दिल्ली, और स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान- कटक, और भोपाल, कोझिकोड, लखनऊ, नेल्लोर, पटना, राजनंदगांव और सुंदरनगर में स्थित 7 समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में 14 क्रॉस-डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित किए हैं।

किसी बच्चे की 0-6 वर्ष की आयु एक महत्वपूर्ण अवधि होती है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य, लाभप्रदता, उपलब्धियों और जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अर्ली इंटरवेंशन सेवाएं प्रदान करके दिव्यांगता को रोकने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए, क्रॉस-डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित किए गए हैं जिनका उद्देश्य जोखिम वाले मामलों की स्क्रीनिंग और शीघ्र पहचान के लिए सुविधाएं प्रदान करना और एक समीपस्थ तरीके से एक ही छत के नीचे परामर्श (काउंसलिंग) सुविधाओं सहित उचित थेरेप्यूटिक और पुनर्वास सम्बन्धी इंटरवेंशन प्रदान करना है।

(ख) और (ग): मंत्रालय ने अगरतला, अहमदाबाद, बलांगीर, दावनगेरे, गंगटोक, गोरखपुर, गुवाहाटी, इंफाल, नागपुर, नाहरलागुन, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), रांची, शिलांग और श्रीनगर में स्थित 14 समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में इसी तरह के क्रॉस-डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(घ): जी हां। ये क्रॉस-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं:

(i) जोखिम वाले मामलों की स्क्रीनिंग और पहचान करना और उचित इंटरवेंशन सेवाओं के लिए रेफर करना।

(ii) फिजियोथेरेपी, आक्यूपेशनल थेरेपी, वाक उत्तेजना (स्टिमुलेशन) और थेरेपी, व्यवहारगत प्रबंधन, और संज्ञानात्मक विकास जैसी थेरेप्यूटिक सेवाएं प्रदान करना।

(iii) माता-पिता की काउंसलिंग और प्रशिक्षण और पीयर काउंसलिंग।

(iv) संवाद, भाषा और मूलभूत साक्षरता में सुधार करने के लिए स्कूल-तैयारी।

(ङ): भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में 20.42 लाख दिव्यांग बच्चें हैं।

(च): इस मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थान (एनआई), समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) और राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) के क्षेत्रीय केंद्र (आरसी) अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कार्य कर रहे हैं:

(i) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र।

(ii) राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु।

(iii) समेकित क्षेत्रीय केंद्र, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

(iv) समेकित क्षेत्रीय केंद्र, नागपुर, महाराष्ट्र।

(v) क्षेत्रीय केंद्र, नवी मुंबई, महाराष्ट्र (राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद का एक केंद्र)।

(vi) क्षेत्रीय केंद्र, पूनमल्ली, चेन्नई, तमिलनाडु (राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून का एक केंद्र)।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई के निम्नलिखित दो विस्तार केंद्र (एक्स्टेंशन सेंटर) भी दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान करते हैं:

(i) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी), श्रीपेरुमबुदूर, तमिलनाडु।

(ii) गवर्मेंट चेंगलपट्टु मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चेंगलपट्टु, तमिलनाडु।

(छ): मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थान और समग्र क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए हैं जो एक ही छत के नीचे व्यापक दिव्यांगता-विशिष्ट पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान-कटक और राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान-कोलकाता जैसे कुछ राष्ट्रीय संस्थानों में सुधारात्मक सर्जरियां भी की जाती है।

मंत्रालय दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

*****